अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर • श्री विजेन्द्र चौधरी श्रीमती पूनम माथुर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
03.09.2025	नाथू बनाम बद्री वगैरह (2025/351) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 बाबत रेस्टोरेशन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 10.09.2025 को पेश हो।	
10.09.2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उपभयपक्ष को दिनांक 03.09.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 बाबत रेस्टोरेशन पर सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष लम्बित था जो दिनांक 21.07.2025 को अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। उक्त प्रकरण पूर्व में माननीय राजस्व मण्डल में लंबित था जिसमें पक्षकार के अन्य वकील थे। जिसका निर्णय दिनांक 02.07.2025 को हो गया। जिसके बाद पक्षकार जयपुर के अधिवक्ता राकेश स्वामी द्वारा 4 बजे सांय अजमेर में विजेन्द्र चौधरी एडवोकेट को राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर में पैरवी हेतु सूचित किया गया। लेकिन अधिवक्ता का कोई अन्य केस नहीं होने के कारण वे पूर्व में ही अपने घर चले गये थे। इस कारण उक्त प्रकरण को अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। यह कि प्रकरण में प्रार्थी की ओर से जानबूझकर गलती या लापरवाही नहीं की गई बल्कि अनुपस्थिति का कारण सद्भाविक रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त उनवानी अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश फरमाये जावें। अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 बाबत रेस्टोरेशन पर निवेदन किया कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये कथन झूठे एवं निराधार है। अभिभाषक प्रार्थी प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण को पूर्व में भी दिनांक 12.09.2023 को अदम हाजरी –अदम पैरवी में खारिज किया गया था जिसे पुनः रेस्टोर किया गया किन्तु रेस्टोर किये जाने के उपरांत भी प्रकरण में अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस नहीं की गई तथा ना ही नोटिस पेश किये। अभिभाषक प्रार्थी प्रकरण को बार–बार अदम पैरवी–अदम हाजरी में जानबूझकर खारिज करवाकर मात्र और मात्र प्रकरण के निस्तारण को लंबित कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 बाबत रेस्टोरेशन मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जावें। अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 बाबत रेस्टोरेशन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन दिनांक 21.07.2025 को अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे इसलिए अपील को अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रकरण को पूर्व में भी दिनांक 12.09.2023 को अदम हाजरी–अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। जिसे दिनांक 10.10.2023 को पुनः नम्बर पर लिया गया था किन्तु उसके पश्चात लगतार अभिभाषक अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रकरण में समय लिया गया एवं बहस नहीं की गई। दिनांक 20.12.2024 को न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्ष अभिभाषक को सुना जाकर अपीलांट संख्या 1, 2 व 3 लगायत 11 को प्रफोर्मा पक्षकार रेस्पोडेन्ट बनाये जाने एवं उनके नोटिस जरिये अखबार साया तामिल करवाने हेतु आदेशित किया गया था किन्तु उक्त आदेश की आज दिनांक	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

तक पालना नहीं की गई है जिससे न्यायिक निर्णयन प्रभावित होता है। चूंकि प्रार्थना पत्र बाजदायरी अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है अतः हम प्रकरण को तकनीकी आधार पर निस्तारित नहीं कर गुणावगुण पर निस्तारित करना उचित समझते हैं। अतः न्यायहित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 बाबत रेस्टोरेशन को 2000 रूपये अक्षरे एक हजार रूपये की कोस्ट पर इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट, प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने उपरांत 15 दिवस में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2024 की पालना में अखबार साया नोटिस अखबार में प्रकाशित करवाकर न्यायालय हाजा में पेश करें तथा पूर्व में दिनांक 02.08.2018 को जारी स्थगन को भी इसी शर्त पर 15 दिवस तक बढाया जाता है यदि उक्त शर्त की पालना नहीं की जाती है तो प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी। उक्त शर्तो पर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। 2000 रू कोस्ट की राशि अभिभाषक प्रार्थी, अभिभाषक अप्रार्थी को अदा करें। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner